

गुलजारा



बनाम

असलम

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 114

सन-2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
10.09.2020	<p>प्रार्थी/सायल की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायलान संख्या 1 ता 3 इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 62/54 के खसरा न0 297/46 की कुल 0.7590 हैक् भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 23.10.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">               सहायक फेल्टर एवं              उपखण्ड अधिकारी              नोहर         </p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए</p>
23/10/20	<p>न्यायालय के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र को पेश हो।              1.3.21</p>	
13/21	<p>प्रार्थी सायल उपस्थित स्वयं सायल उपस्थित विमा की पक्षधरता का सतीभाषा एवं के कारण की यथावत चर्चा वारिष्ठ परमात/सायल स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र की यथावत चर्चा वारिष्ठ विमा जागू एत आशय के अर्थ प्रस्तुत है</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              नोहर         </p>	<p>21/11              गुलजारा</p>